भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4165

20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा अधिकारियों के लिए भत्ते

4165. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य उप-संवर्गों के चिकित्सा अधिकारियों और अन्य जनरल ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों को विभिन्न भत्ते सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिए जाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसे कई स्वायत्त निकायों और कई विश्वविद्यालयों में कार्यरत स्वास्थ्य/चिकित्सा अधिकारियों को उक्त भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के 04 उप-संवर्गों नामतः शिक्षण, गैर-शिक्षण, जन स्वास्थ्य और सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों से संबंधित डॉक्टर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश तथा सरकार के अनुमोदन के अनुसार मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, वार्षिक भत्ता, स्नातकोत्तर भत्ता, वाहन भत्ता, गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता आदि जैसे विभिन्न भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय लागू नियमों के अनुसार भत्ते प्रदान करते हैं। जब भी अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उनका तुरंत उत्तर दिया जाता है।

******